राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1700/2008/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, भरतपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स अंकित एन्टरप्राईजेज,
ए–50, शालीमार बाग, दिल्ली। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.
अनुपस्थित
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :30.9.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भरतपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **17.11.2007** के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 58/आरएसटी/वेट/एनआरडी/2007–08 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 04.06.2007 के तहत् आरोपित शास्ति रू.1,21,337/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्धारण वर्ष 2007–08 का निर्धारण आदेश दिनांक 04.06.2007 को पारित कर, कर चोरी की नियत से मिथ्या दस्तावेज के जरिये माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् रू. 1,21,337/– की शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी उचित आधार के व बिना किसी ठोस जांच कार्यवाही करने के अभाव में आरोपित शास्ति को अपास्त कर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी हैं ।

लगातार..... 2

3. राजस्व की ओर से उप राजस्व अधिकारी की बहस सुनी गयी। प्रत्यार्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद स्थानीय अखबार में प्रकाशन की सूचना के कोई उपस्थित नहीं । अतः एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, पारित निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

5. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन आदेश का सुक्ष्म परीक्षण किया गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 23.5.2007 को वाहन संख्या HR-47A-0187 को उंचानगला चैक पोस्ट (भरतपुर) में आगे रोक कर चैक किया। वाहन में सरसों परिवहन की जा रही थी। वाहन चालक/माल प्रभारी से वांछित दस्तावेज मांगे जाने पर मैंसर्स अंकित एन्टरप्राईजेज, ए–50 शालीमार बाग, दिल्ली का बिल नं. 202/21.05.2007 एवं शिवम् रोडलाईन्स, दिल्ली की बिल्टी प्रस्तुत की। वाणिज्यक कर विभाग की चैक पोस्ट–शाहजहांपुर की दिनांक 22.05.2007 की सील व स्टीकर लगी टी.पी. भी प्रस्तुत की। फ़र्म के बिल एवं बिल्टी एक ही हस्तलिपि में तैयार होने तथा वाहन चालक द्वारा अपने प्राथमिक बयानों में माल बहरोड़ से भरा जाने तथा बिल, बिल्टी व टी.पी. किसी फूलसिंह नामक व्यक्ति द्वारा उसे बहरोड़ में लाकर दिया आना प्रकट किया।

6. वाहन का इन्द्राज ऊंचा नागला चैक पोस्ट पर नहीं कराने तथा उपरोक्त विरोधाभाषी तथ्य प्रकट होने के कारण निर्धारण अधिकारी ने कागजात मिथ्या होने का सन्देह किया तथा बिल व बिल्टी का सत्यापन फर्म के क्षेत्राधिकार रखने वाले वाणिज्य कर अधिकारी से प्रमाणित कराने हेतु नोटिस जारी किया। दिनांक 4.06.2007 को पवन कुमार नामक व्यक्ति ने निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने आपको अंकित एन्टरप्राईजेज, दिल्ली का प्रतिनिधि बताने हुए पक्षकार बनाने हेतु ओवदन किया। पत्रावली में अंकित एन्टरप्राईजेज, दिल्ली की ओर से प्रतिनिधि अधिवृत करने का कोई पत्र। अधिकार पत्र संलग्न नहीं पाया गया। बिल एवं बिल्टी के सत्यापन नहीं करवाने का जो आधार प्रार्थना पत्र में लिखा गया, वह रास्ता जाम होना बताया ग़या। जो कि कतई विश्वसनीय नहीं है। उक्त फर्म वास्तव में पंजीकृत है अथवा नहीं, इसके प्रमाणिकरण के लिये केवल दस्तावेजात (मूल) की आवश्यकता थी। जब कथित प्रतिनिधि दिल्ली से भरतपुर वाहन

लगातार..... 3

छुड़ाने हेतु पहुँच सकता है तो फर्म के मूल कागजात की पत्रावली भी साथ सत्यापन हेतु ले जा सकता था। रास्ता जाम होना मात्र एक बहाना था। दस्तावेजात का परीक्षण करने से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि बिल पर कोई टेलीफोन नम्बर तक छपे हुए नहीं है।

7. प्रत्यर्थी फर्म ने अपनी फर्म के विधिक रूप से पंजीकृत होने एवं विवादित बिल को सत्यापन करने के प्रयास न तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष किये, न ही अपीलीय अधिकारी ने सत्यापन किया। निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यार्थी फर्म को पर्याप्त अवसर दिया था। परन्तु उसने अपने बिल का सत्यापन नहीं करवा कर शास्ति राशि जमा करवा कर वाहन छुड़वा लिया। प्रस्तुत प्रकरण में वाहन चालक द्वारा निर्धारण अधिकारी को दिये बयान भी महत्वपूर्ण है जिसमें उसने माल बहरोड़ से भरा होना बताया। फर्म के बिल एवं ट्रान्सपोर्टर कम्पनी की बिल्टी एक ही व्यक्ति की हस्तालिपि में तैयार होना प्रथम दृष्टया सिद्ध होता हैं। अतः बोगस एवं मिथ्या दस्तावेज के आधार पर माल का परिवहन निश्चित रूप से करावंचन के मनोभाव से ही किया जा रहा था।

निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 4.6.2007 उचित है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2007 अपूर्ण एवं अनुचित होने के कारण अपास्त योग्य है।

8. सारतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2007 अपास्त किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

30/9/15

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य